



2026:AHC:14442

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2989, वर्ष 2025

राजेश कुमार
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : सौरभ यादव, सुरज राज
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : आज़ाद राय, सी.एस.सी., मोहितोष सिंह

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को, आज ही के दिन, रिट याचिका के पक्षकारों की सूची में तहसीलदार को प्रतिवादी संख्या 8 के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जाती है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री ओम आनंद राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय को सुना गया।
3. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"(i) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे ग्राम सभा की ज़मीन—आज़ादी संख्या 428, क्षेत्रफल 0.069 हेक्टेयर जो राजस्व अभिलेख में 'बंजर' के रूप में दर्ज है—से अतिक्रमण हटाएँ। यह ज़मीन ग्राम सभा - ग्राम पट्टया, परगना मिर्जापुर चौहरी, तहसील-सोरावं, ज़िला प्रयागराज में स्थित है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 6 और 7 ने अवैध निर्माण करके अतिक्रमण कर रखा है।"

(ii) परमादेश की प्रकृति का कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 6 और 7 के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें और प्रतिवादी प्राधिकारियों के समक्ष लंबित दिनांक 04.09.2025 के अभ्यावेदन पर निर्णय लें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. इस न्यायालय ने दिनांक 24.9.2025 के आदेश के माध्यम से विद्वान अधिवक्ता को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।

5. इस न्यायालय के दिनांक 24.9.2025 के आदेश के अनुपालन में, उप-विभागीय अधिकारी, सोरांव, प्रयागराज द्वारा दिनांक 10.11.2025 को भेजे गए निर्देश को अभिलेख पर लिया गया है।

6. श्री ओम आनंद, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने, उक्त निर्देश के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि भूखंड संख्या 428 क्षेत्रफल 0.069 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में 'बंजर' के रूप में दर्ज है, और प्रतिवादी संख्या 6 तथा 7 के विरुद्ध 'यू.पी. राजस्व संहिता, 2006' की धारा 67 के तहत दो मामले पंजीकृत किए गए हैं, जो वर्तमान में लंबित हैं। इन दोनों मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. वाद संख्या **T202502030320308**

2. वाद संख्या **T202502030320307**

7. उन्होंने आगे यह भी कहा कि ऊपर बताई गई कार्यवाही का निस्तारण हो जाने के बाद, अधिकारी कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे।

8. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि ऊपर बताई गई कार्यवाही का जल्द से जल्द और एक तय समय-सीमा के भीतर निस्तारण करने के लिए उचित निर्देश दिए जाएं।

9. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख की जांच की है।

10. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत प्रतिवादी संख्या 6 और 7 के खिलाफ एक कार्यवाही दर्ज की गई है, और यह कार्यवाही इस समय प्रतिवादी संख्या 8—तहसीलदार, सोरांव, प्रयागराज के समक्ष लंबित है।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 8 - तहसीलदार, सोरांव, प्रयागराज को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, विधि के अनुसार उपर्युक्त लंबित मामले का शीघ्रतापूर्वक निर्णय करें।

20 जनवरी 2026

पीएस

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)